न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1112–पीबीआर/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 447/अपील/2007–08

.....

आशीष गुप्ता पिता अनिलकुमार गुप्ता
निवासी डी0आर0पी0लाईन महु नीमच रोड
मंदसौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर
2–ओंकार सिंह राजपूत पिता बख्तावरसिंह
निवासी भाउखेड़ी तहसील व जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अधिवक्ता – आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज अधिकारी मंदसौर द्वारा पत्र कमांक 991/खनिज/2007 मंदसौर दिनांक 31–7–2007 से आवेदक द्वारा ग्राम हरचंदी, भावगढ, शिवना नदी से 534 घनमीटर अवैध रेत का उत्खनन किये जाने संबंधी प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–67/2006–07 दर्ज कर दिनांक

10–03–2008 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा 534 घनमीटर अवैध रेत का उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाते हुये उत्खनित रेत के बाजार मूल्य रुपये 1,86,900/– की दो गुना राशि रुपये 3,73,800/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर कलेक्टर जिला मंदसौर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14–5–2008 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त को समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 447/अपील/2007–08 दर्ज कर दिनांक 29–7–2008 को आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज निरीक्षक ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कोई स्टॉक जप्त नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के प्रकरण में स्थगन आदेश देना चाहिये था, क्योंकि यदि आवेदक से वसूली कर ली जाती है, तब उसे अपूर्णनीय क्षति होगी । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–7–08 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट

निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि उसके द्वारा अवैध उत्खनन नहीं किया गया है तथा वैधानिक अनुमति लेकर उत्खनन किया गया है, अतः सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर